न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—34 / 2021 / 223 (2021 / 34)

1. छोटू पुत्र भूरा, जाति बैरवा, निवासी रहलाना, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र हीरा,
2. मदन पुत्र हीरा,
3. तीजा पत्नि हीरा,
4. केशर पुत्री हीरा,
5. काली पुत्री हीरा,
6. पतासी पुत्री हीरा,
7. बदाम पुत्री हीरा,
8. नारायण पुत्र हीरा (फौत)
9. लाडा देवी पत्नी रोडू,
10. मोहन पुत्र रोडू,
11. सीता पुत्री रोडू,
12. मंदराज पत्नी रामलाल पुत्र रोडू,
13. दिलखुश पुत्र रामलाल पुत्र रोडू,
14. सीमा पुत्री रामलाल पुत्र रोडू,
15. अंजली पुत्री रतनलाल,
16. छीतरलाल पुत्र रतनलाल,
17. मुकेश पुत्र रतनलाल,
18. ग्यारसी देवी पत्नि रतनलाल,
19. मनभर पत्नी किशनलाल,
20. घीसाराम पुत्र किशनलाल,
21. विश्राम पुत्र किशनलाल,
22. हरिराम पुत्र किशनलाल,
23. सायर पुत्री किशनलाल,
24. कान्ता पुत्री किशनलाल,
    समस्त जाति बैरवा, निवासी रहलाना, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
25. तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 18.12.2018 अंतर्गत वाद संख्या 92 / 2017.

उपस्थितः—

1. श्री उमेश कुमार, वकील अपीलांट ।
2. श्री जयपाल चावला, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 एवं 9 से 14 एवं 14 से 24.
3. रेस्पो0 संख्या 15 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 25.

निर्णय

दिनांकः— 24.12.2024

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद बाबत् खातेदारी घोषणा व इंद्राज दुरूस्ती विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खता संख्या 526 के आराजी खसरा नंबर 730 रकबा 0.2000 है0, खसरा नंबर 736 रकबा 0.2800 है0, खसरा नंबर 737 रकबा 0.4800 है0, 738 रकबा 0.1500 है0, खसरा नंबर 739 रकबा 0.27 है0, खसरा नंबर 740 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 741 रकबा 0.15 है0 742 रकबा 0.1500 है0, 743 रकबा 0.0800 है0, 748 रकबा 0.1000 है0, 749 रकबा 0.0100 है0, 750 रकबा 0.3200 है0, 2354 रकबा 0.7000 है0, 2361 रकबा 1.2500 है0, 2378 रकबा 0.7000 है0, 2379 रकबा 0.7100 है0, खसरा नंबर 2393 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 2394 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 2506 रकबा 0.35 है0 कुल किता 19 कुल रकबा 6.5100 है0 भूमि वाके ग्राम रहलाना, तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है जो वर्तमान में राजी पत्नि हिस्सा 1/6, हीरा, रोडू, रतना, किशना, छोटू पि0 लादू हिस्सा 5/6 कौम बैरवा सा0देह के नाम से दर्ज है जिसके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 मुताबिक सजरा व हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के अनुसार काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है। पक्षकार एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य रहे है । पक्षकारान का पूर्वज भूरा रहा है । विवादित आराजियात का संवत् 2011 में पर्चा भूरा वल्द लादू के नाम से जारी हुआ था जो प्रस्तुत पर्चा सेटलमेंट संवत् 2011 एवं मिलान क्षैत्रफल से बखूबी साबित है । भूरा के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त आराजियात उसके वारिस राजी, हीरा, रोडू, रतना, किशना व छोटू के नाम से बहिस्सा बराबर—बराबर 1/6, 1/6 हिस्से अनुसार दर्ज हो गयी लेकिन उसमें सहवन से हीरा, रोडू, रतना, किशना व छोटू की वल्दियत लादू दर्ज कर दी गई जबकि इनके पिता का नाम भूरा था । लादू तो भूरा के पिता थे । इस प्रकार राजस्व कर्मियों ने बिना किसी विधिक आदेश के सहवन से वादी एवं उसके अन्य भाईयों की वल्दियत भूरा के स्थान पर लादू दर्ज कर दी जो मात्र राजस्व कर्मियों की गलती से होना पाया जाता है । जबकि संवत् 2011 में जारी पर्चा में भूरा वल्द लादू कौम चमार सा0देह दर्ज है । राजी, हीरा, रोडू, रतना, किशना का स्वर्गवास हो चुका है मात्र छोटू जीवित है । राजी के कोई जायंदा संतान नहीं है जिससे मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 एवं सजरा के अनुसार राजीदेवी के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ही द्वितीय श्रेणी के नजदीकी वारिसान है । इसलिये कानूनन राजीदेवी के नाम से दर्ज आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना आवश्यक है । वादी ने तहसीलदार एवं पटवारी हल्का

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

को दुरूस्ती इंद्राज हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार एवं पटवारी हल्का ने दुरूस्ती इंद्राज से इंकार कर दिया इस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को वल्दियत दुरूस्त करवाकर राजी के हिस्से का नामांतकरण सभी के नाम खुलवाने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण ने सहयोग से इंकार कर दिया तथा वादी को धमकी दी कि वे राजस्व कारकुनानो से साजकर राजीदेवी की विरासत का नामांतकरण अकेले अपने हक में खुलवाकर वादी को उसके हिस्से से महरूम करेंगे । इस कारण वादी का यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद स्वीकार कर वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात में दर्ज राजी पत्नि पांचू हिस्सा 1/6, हीरा, रोड, रतना, किशना व छोटू पि0 लादू हिस्सा 5/6 कौम बैरवा सा0देह हजफ किया जाकर राजी पत्नि पांचू हिस्सा 1/6, हीरा, रोडू, रतना, किशना, छोटू पि0 भूरा हिस्सा 5/6 कौम बैरवा सा0देह दर्ज किया जावे तथा राजी पत्नि पांचू के हिस्से का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2018 को पारित कर वादी का वाद आंशिक रूप से डिक्री कर दर्ज खातेदार हीरा, रोडू, रतना, किशना, छोटू पुत्रान लादू कौम बैरवा सा0देह की वल्दियत लादू को हजफ कर भूरा दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट कर दिया था कि पांचू पुत्र भूरा की मृत्यु हो गई है जिसके बाद उसकी पत्नि राजी पत्नि पांचू जीवित रही जो लाऔलाद फौत हो गई । इसलिये पांचू की सम्पति भूरा के पुत्रों के नाम दर्ज होकर खातेदारी उद्घोषणा की जानी चाहिये थी । उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने वादी द्वारा चाही गई रिलीफ को बिना किसी आधार के इंकार करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है । इसलिये अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व तडिक्री हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रतिकूल होने से उक्त तथ्य की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार के राजी पत्नि पांचू की सम्पति की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के वारिसानों के नाम दर्ज करने से इंकार करने का मात्र कारण यह माना कि ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि रेस्पो0 के अलावा और कोई वारिस नहीं हो । जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 द्वारा इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था फिर भी उक्त इकबाली जवाब को नजरअंदाज कर विधि विरूद्ध जाकर खातेदारी घोषणा नहीं किये जाने के आदेश पारित किये है जो इस हद तक निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2018 में राजी पत्नि पांचू के 1/6 हिस्से की आराजी को भूरा के पुत्रों के वारिसानों के नाम दर्ज नहीं किये जाने की हद तक को निरस्त किया जाकर राजी पत्नि पांचू के 1/6 हिस्से की आराजी को भूरा के पुत्रां के वारिसानों के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में अपीलांट के कथनों का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अवलोकन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम रहलाना, तहसील दूदू की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार खसरा संख्या 730, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 748, 749, 750, 2354, 2361, 2378, 2379, 2393, 2394, 2506 कुल किता 19 कुल रकबा 6.5100 है0 भूमि राजी पत्नि पांचू हिस्सा 1/6, हीरा, रोडू, रतना, किशना, छोटू पि0 लादू हिस्सा 5/6 कौम बैरवा सा0देह दर्ज है । पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के साबिक खसरा नंबर 648,661, 662, 663, 664, 665, 666 मिन, 668 मिन, 667, 666 मिन, 668 मिन, 673, 674, 675, 1931, 1938, 1953, 1954, 1965, 1966, 2047 थे । भू–प्रबंध जमाबंदी में विवादित आराजियात के साबिक खसरा नंबर भूरा वल्द लादू कौम बैरवा के नाम दर्ज है । वादपत्र में अंकित सजरा से स्पष्ट है कि भूरा पुत्र लादू के वारिसान में पांचू (फौत) राजी पत्नि पांचू, हीरा, रोडू, रतना, किशना, एवं छोटू एवं नंदू पुत्री भूरा फौत खातेदार भूरा पुत्र लादू के पुत्र एवं पुत्रियां होकर विधिक वारिसान है । विद्वान वकील अपीलांट द्वारा फर्द के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात सजरा प्रमाण ग्राम पंचायत रहलाना दिनांक 27.6.2019 से यह स्पष्ट है कि पांचू पुत्र भूरा नाऔलाद फौत हो गया था जिसकी एकमात्र वारिस पत्नि राजीदेवी थी जिसकी भृत्यु हो चुकी है । इसी प्रकार किशनलाल पुत्र भूराराम की मृत्यु उपरांत उसके विधिक वारिसान मनभर पत्नि, घीसाराम, विश्राम पुत्रगण किशनलाल, गीता, सायर, कान्ता पुत्रियां किशनलाल है जो अपील में रेस्पो0 संख्या 19 लगायत 24 है । अन्य सजरा प्रमाण पत्र के अनुसार हीरालाल पुत्र भूराराम के विधिक वारिसान तीजा पत्नि हीरालाल, नारायण,, लक्ष्मण, मदनलाल पुत्रगण हीरालाल, केशर, काली, पतासी, बदाम पुत्रियां हीरालाल है जो अपील में रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 8 है । अन्य सजरा प्रमाण पत्र के अनुसार रोडू के विधिक वारिसान में लाडा देवी पत्नि, रामलाल मृतक के वारिसान मंदराज पत्नि रामलाल, दिलखुश पुत्र, सीमा पुत्री, अंजली पुत्री रामलाल तथा मोहन पुत्र रोडू, सीता पुत्री रोडू विधिक वारिसान है जो अपील में रेस्पो0 संख्या 9 लगायत 14 है । इसी प्रकार अन्य सजरा प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि रतनलाल पुत्र भूराराम के विधिक वारिसान में ग्यारसी देवी पत्नि रतनलाल, छीतरलाल, मुकेश पुत्रगण रतनलाल है जो अपील में रेस्पो0 संख्या 15 लगायत 18 है । उपरोक्त सजरा प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट है कि हीरा, रोडू, रतना, किशना, छोटू के पिता का नाम लादू न होकर भूरा था किन्तु राजस्व रिकार्ड में हीरा, रोडू, रतना, किशना, छोटू की वल्दियत भूरा अंकित न कर लादू अंकित की गई है जो त्रुटिपूर्ण इंद्राज होना स्पष्ट है तथा वादी/अपीलांट उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के क्रम में राजस्व रिकार्ड में अपनी वल्दियत लादू के स्थान पर भूरा कराने के विधिक अधिकारी पाये जाते है । इसी प्रकार ग्राम पंचायत रहलाना द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 27.6.2019 से यह भी स्पष्ट है कि पांचू पुत्र भूरा की नाऔलाद मृत्यु हो गई थी जिसकी एकमात्र विधिक वारिस राजीदेवी पत्नि पांचू थी जिसका भी दिनांक 3.10.2012 को देहांत हो चुका है । इस प्रकार राजी पत्नि पांचू के नाऔलाद फौत होने से पांचू के अन्य भाई हीरा, रोडू, रतना, किशना व छोटू पुत्रगण भूरा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत राजी पत्नि पांचू के विधिक वारिसान होने से राजी के 1/6 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने के विधिक अधिकारी पाये जाते है । वादी ने अपने पिता की वल्दियत भूरा होने के संबंध में अधी0न्याया0 के समक्ष विद्युत बिल, रतनलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 6.6.2017, छोटूराम के आधार कार्ड की फोटो प्रति, राशनकार्ड इत्यादि दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये थे जिनमें भी वादी के पिता का नाम भूराराम अंकित है । इन समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रमाणित था कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

वादी एवं हीरा, रोडू, रतना, किशना, छोटू की वल्दियत लादू न होकर भूरा थी । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर वाद को खारिज करने में त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2018 निरस्त किया जाता है तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी छोटू, हीरा, रोडू, रतना, किशना की वल्दियत लादू के स्थान पर भूरा दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है तथा मृतक राजी पत्नि पांचू के 1/6 हिस्से का खातेदार वादी एवं मृतक हीरा के विधिक वारिसान रेस्पो0 संख्या 1 से 7, मृतक रोडू पुत्र भूरा के विधिक वारिसान रेस्पो0 संख्या 9 से 14, एवं मृतक रतनलाल पुत्र भूरा के विधिक वारिसान रेस्पो0 संख्या 15 से 18 एवं मृतक किशनलाल पुत्र भूरा के विधिक वारिसान रेस्पो0 संख्या 19 से 24 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.12.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर